

## गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

### प्रलिस के लिये:

[खाद्य सुरक्षा](#), [आवश्यक वस्तु अधिनियम \(ECA\), 1955](#), [IMD](#), [मुद्रासफीति](#), [PDS](#), [OMSS](#)

### मेन्स के लिये:

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी एवं बेबुनियाद अनुमान लगाने की प्रथा को रोकने के लिये व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वृहत शृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूँ के स्टॉक/भंडारण पर सीमाएँ निर्धारित की हैं।

- मंत्रालय ने इन्ही कारणों से आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 को लागू करके तुर और उड़द दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है।

## सीमा निर्धारण का कारण:

- गेहूँ उत्पादन से संबंधित चिंताएँ:
  - फरवरी 2023 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और उच्च तापमान के कारण कुल गेहूँ उत्पादन को लेकर स्वाभाविक चिंता जताई गई।
    - कम उत्पादन से कीमतें बढ़ती हैं, जो सरकार की खरीद कीमतों से अधिक हो सकती हैं तथा आपूर्ति स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
    - शुरुआती अनुमान की तुलना में गेहूँ खरीद में संभावित 20% की कमी के संकेत हैं।
      - ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूँ की फसल को नुकसान होने का अनुमान है।
      - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रजनन वृद्धि अवधि के दौरान उच्च तापमान के कारण गेहूँ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी थी।
- तुर एवं उड़द के लिये ECA 1955 लागू करना:
  - कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तुर उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और जल जमाव की स्थिति के कारण वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगतिके बीच जुलाई 2022 के मध्य से तुर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
  - किसी भी अवांछित मूल्य वृद्धिको नियंत्रित करने के लिये सरकार घरेलू एवं विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नियंत्रित कीमतों को सुनिश्चित करने हेतु पूर्व-निर्धारित कदम उठा रही है।

## गेहूँ की स्टॉक सीमा के संबंध में शासनादेश:

- कीमतों को स्थिर करने के लिये स्टॉक सीमा का अधिरोपण:
  - व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिये अनुमत स्टॉक सीमा 3,000 मीटरिक टन निर्धारित है, इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं के लिये प्रत्येक बकिरी केंद्र पर 10 मीटरिक टन होने के साथ बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिये सभी डिपों (संयुक्त) पर 3,000 मीटरिक टन तक निर्धारित की गई है।
  - प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति है।
  - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर संस्थाओं को नियमित रूप से अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करने की आवश्यकता होती है।
  - सीमा से अधिक स्टॉक होने की स्थिति में निर्धारित सीमा के अंतर्गत लाने के लिये अधिसूचना जारी करने की समय-सीमा 30 दिन है।
- OMSS के माध्यम से गेहूँ की बकिरी:

- सरकार ने **ओपन मार्केट सेल सकीम (OMSS)** के माध्यम से 15 लाख टन गेहूँ बेचने का नरिणय लया है ।
- गेहूँ मल्लों, नजलल वुयापारयलल, थोक खरलदरल और गेहूँ उतुपादकल दवारा ई-नीलामी के माधुयम से बेचा जाएगा ।
- **नीलामी 10 से 100 मीटरकल टन के थोक मूलुय के लयल** आयोजतल कल जाएगी, जसलमें कलमतल और मांग के आधार पर अधकल-से अधकल नीलामी कल संभारवना होगल ।
- कलमतल को कम करने के लयल **चावल कल बकलरल हेतु** भी इसल तरह कल योजना पर वचलर कयल जा रहा है ।

## शासनादेश का उददेशुय:

- **कलमतल के सुथरलकरण हेतु:**
  - प्रारथमकल उददेशुय बाजार में गेहूँ कल कलमतल को सुथरल करना है । गेहूँ आपूरतल शृंखला में शामिल वभलनलन संसुथारुओं पर सुटुॉक सीमा लागू कर **सरकार का उददेशुय जमाखोरल और सुदुटेबाजल को रोकना** तथा गेहूँ कल सुथरल आपूरतल सुनशलचतल करना और **कलमतल को सुथरल** करना है ।
- **वहनीयता:**
  - सरकार का इरादा कलमतल को सुथरल करके **उपभोक्तारुओं हेतु गेहूँ को और अधकल कफलयतल बनाना है** ।
  - OMSS दवारा केंद्र के माधुयम से गेहूँ के वतलरण से **खुदरा मूलुयुं पर नयलतुरण बनाए रखने से गेहूँ आम लोगुं हेतु ससुता** होगा ।
- **आपूरतल कल कमी को रोकना तथा खादुय सुरकषा को सुनशलचतल करना:**
  - सुटुॉक सीमा कल नगरलनी और प्रबंधन के साथ ही सरकार का उददेशुय मांग को पूरा करने के लयल गेहूँ कल परुयातुत आपूरतल सुनशलचतल कर बकलरल से संबंधतल कमयलुं को दूर करना और **सारवजनकल वतलरण परणालल** के माधुयम से समाज के कमजोर वरुगुं को गेहूँ उपलब्ध कराना है ।

## आवशुयक वसुतु अधनलयम, 1955:

- **पृषुठभूमल:**
  - ECA अधनलयम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खादुयानुन उतुपादन के लगातार नमलन सुतर के कारण खादुय पदार्थुं कल कमी का सामना कर रहा था ।
  - ततुकालीन भारत अपनी खादुय जरूरतुं कल पूरुतलके लयल आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरकल से गेहूँ का आयात) पर नरलभर था ।
    - भारत ने वरुष 1954 में अमेरकल के साथ सरकारी कृषल वुयापार वकलस सहायता के तहत खादुय सहायता प्रारुत करने के लयल एक **दीरुघकालकल सारवजनकल कानून (PL) 480 समझुते** पर हसुताकषर कयल ।
  - **खादुय पदार्थुं कल जमाखोरल** और कालाबाजारल को रोकने के लयल वरुष 1955 में आवशुयक वसुतु अधनलयम लाया गया था ।
- **उददेशुय:**
  - इसका उददेशुय ECA 1955 का उपयुग कर केंद्र दवारा वभलनलन प्रकर कल वसुतुऑं में वुयापार हेतु राज्य सरकारुं को नयलतुरण प्रदान करना है ताकल **मुदरासफुतल** पर अंकुश लगाया जा सके ।
- **आवशुयक वसुतु:**
  - आवशुयक वसुतु अधनलयम, 1955 में आवशुयक वसुतुऑं कल कुई वशलषलट परभलषा नही है । धारा 2 (A) में कहा गया है कल "आवशुयक वसुतु" का अरुथ अधनलयम कल अनुसूचल में नरलदषलट वसुतु है ।
- **केंद्र कल भूमकल:**
  - अधनलयम केंद्र सरकार को **अनुसूचल में कसलल वसुतु को जोडने या हटाने का अधकलर देता है** ।
  - केंद्र यदल संतुषुट है कल जनहतल में ऐसा करना आवशुयक है, तो राज्य सरकारुं के परामरुश से कसलल वसुतु को आवशुयक रूड में अधसुलचतल कर सकता है ।
- **प्रभाव:**
  - कसलल वसुतु को आवशुयक घोषतल करके सरकार उस वसुतु के उतुपादन, आपूरतल और वतलरण को नयलतुरतल कर सकतल है तथा सुटुॉक सीमा लगा सकतल है ।

## UPSC सवलल सेवा परलकषा, वगत वरुष के प्रशुन

**??????????:**

प्रशुन. नमलनलखतल फसलुं पर वचलर कलजयल: (2013)

1. कपास
2. मूंगफली
3. चावल
4. गेहूँ

इनमें से कुन-सल खरलफ फसलुं हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. फसल प्रणाली में गेहूँ और चावल की उपज में गरिबट के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रणाली में फसलों की उपज को स्थिर करने हेतु फसल विविधीकरण किस प्रकार सहायक है? (2017)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ceiling-on-stocks-of-wheat-and-pulses>

